क्रम संख्या–04

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 03 जनवरी, 2013 ई0

पौष 13, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 08 / XXXVI(3) / 2013 / 73(1) / 2012

देहरादून, 03 जनवरी, 2013

### अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012** पर दिनांक 01 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

# उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2013}

{भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

## अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह 01 नवम्बर, 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 27 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 27 में–

(1) खण्ड (ग) का प्रस्तर (तीन) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् –

"**(तीन)** ऐसे कृषि उत्पाद को, जो उत्तराखण्ड राज्य में किसी अन्य राज्य से अथवा देश के बाहर से प्रथम बार विकय, भण्डारण, प्रकिया, विनिर्माण, संव्यवहार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए मण्डी क्षेत्र में आता हैं, "प्रथम आवक" के रूप में रजिस्टर्ड किया जायेगा और ऐसे उत्पाद पर मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान किया जायेगा,"

(2) खण्ड (ग) का प्रस्तर (चार) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्–

"**(चार)** यदि कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद राज्य के भीतर के किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान करके राज्य के ही किसी दूसरे मण्डी क्षेत्र से विकय, भण्डारण, प्रकिया, विनिर्माण, संव्यवहार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लाया जाता है तो ऐसी आवक "द्वितीय आवक" कहलायेगी और उस पर कोई मण्डी फीस एवं विकास उपकर उद्ग्रहणीय नहीं होगा।"